संख्या–84/सं0वि0/2004–11०संस्कृति/2003

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2004

विषयः–वित्तीय वर्ष 2003–04 में ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पुरातात्विक / धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2003–2004 में ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पुरातात्विक/ धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत के अनुरूप योजनावार निम्न तालिका के अनुसार रू0 5.37 लाख एवं रू0 10.40 लाख, कुल रूपये 15.77 लाख (रूपये पन्द्रह लाख सतत्तर हजार मात्र) की धनराशि को आहरित कर जिलाधिकारी, पौड़ी के पी0एल0ए0 खाते में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं	योजना का नाम	आगणन की मूल लागत	टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत आगणन की लागत	वित्तीय वर्ष 2003–04 में अवमुक्त धनराशि
1	वैष्णों मन्दिर समूह देवल, पौड़ी गढ़वाल का जीर्णोद्धार	5.60	5.37	5.37
2–	कपिलेश्वर महादेव मन्दिर, अल्मोड़ा का जीर्णोद्धार	13.03	10.40	10.40
	योग :–		15.77	15.77

(रूपये पन्द्रह लाख सतत्तर हजार मात्र)

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

NIC-141

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म में है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चत करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एम मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत धनराशि के उपरान्त लागत में कोई भी पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। व्यय करते समय टैण्डर/ कुटेशन विषयक नियमों का पालन किया जायेगा।

10– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–104–अभिलेखागार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान (पुरातत्व संरक्षण)–42–अन्य व्यय मानक मद के नामें डाला जायेगा।

11– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–2364 /वि0अनु0–2/2004 दिनॉक 29 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृ0प0सं0– / सं0वि0/2004– संस्कृति/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार , ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3– जिलाधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
4– क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी,, पौड़ी।
5– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
7– वित्त अनुभाग–3।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।